e-office No. 584496/19/CF

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2019-हिं.अ. दिनांक: 01.07.2019

**विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.06.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.06.2019 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेमसिंह 01.07.19

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

**वितरण:**

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)।
4. प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ।
5. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय।
6. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र/डॉ. रा.प्र. केंद्र/सामान्य अनुभाग/संकाय प्रकोष्ठ/ई.एच.एस. प्रकोष्ठ।
7. लेखा अधिकारी एम.एस.यू./वर्क्स ऑडिट अनुभाग।

**प्रतिलिपि:**

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
03 JUL 2019
समय / Time 10:98
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.06.2019 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 18.06.2019 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/ विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. रणदीप गुलेरिया,<br>निदेशक, एम्स, नई दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. वी.के. बहल,<br>आचार्य एवं संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) | उपाध्यक्ष |
| 3. | डॉ. डी.के. शर्मा,<br>चिकित्सा अधीक्षक | सदस्य |
| 4. | श्री शुभाशीष पण्डा,<br>उप-निदेशक (प्रशासन) | सदस्य |
| 5. | श्री नीरज कुमार शर्मा,<br>वरिष्ठ वित्त सलाहकार | सदस्य |
| 6. | श्री धीरेन्द्र वर्मा,<br>उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी | सदस्य |
| 7. | डॉ. वी.के. बहल,<br>आचार्य एवं प्रमुख, हृद्वक्ष विज्ञान केन्द्र | सदस्य |
| 8. | डॉ. जी.के. रथ, आचार्य एवं प्रमुख, डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. तथा<br>अध्यक्ष, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर | सदस्य |
| 9. | आचार्य एवं प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की प्रतिनिधि:-<br>डॉ. रितु दुग्गल, आचार्य | सदस्य |
| 10. | डॉ. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख<br>राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद | सदस्य |
| 11. | डॉ. संजय कुमार आर्य,<br>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (का.) | सदस्य |
| 12. | श्री नरेन्द्र भाटिया,<br>वित्त सलाहकार | सदस्य |
| 13. | श्री एस.एन. रघुकुमार,<br>उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रतिनिधि:-<br>श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष | सदस्य |
| 15. | श्रीमती प्रीति आहलूवालिया,<br>कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं. | सदस्य |
| 16. | आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र. केन्द्र के प्रतिनिधि:<br>डॉ. सूरज सिंह सेंजम, सह-आचार्य | सदस्य |
| 17. | श्री सतीश कुमार सिंह,<br>प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी,<br>डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. एवं अनुसंधान अनुभाग | सदस्य |
| 18. | श्री जी.आर. पिल्लई, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी,<br>अस्पताल एवं सामान्य अनुभाग | सदस्य |
| 19. | श्री पल्लव चित्तेज, प्रशासनिक अधिकारी,<br>स्थापना अनुभाग (नि.का.) | सदस्य |
| 20. | प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:-<br>श्री कमल भट्ट, कार्यालय अधीक्षक | सदस्य |
| 21. | श्री कुशाल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी,<br>शैक्षिक अनुभाग | सदस्य |
| 22. | डॉ. ओ.पी. शर्मा, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं नोडल राजभाषा अधिकारी,<br>परीक्षा अनुभाग | सदस्य |
| 23. | श्री योगेश कुमार शर्मा,<br>एजुकेशनल मीडिया जनरलिस्ट एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, सीमेट | सदस्य |
| 24. | प्रशासनिक अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, संपदा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी | सदस्य |
| 25. | उप-निदेशक (कार्यान्वयन),<br>क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली),<br>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि:-<br>श्री एन.एस. मेहरा, सहायक निदेशक | सदस्य |
| 26. | श्री प्रेम सिंह तोमर,<br>वरिष्ठ हिंदी अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 27. | श्री ई.वी.एस. चक्रवर्ती,<br>प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केन्द्र | विशेष आमंत्रित |
| 28. | श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी<br>जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र | विशेष आमंत्रित |
| 29. | श्री बी.के. सिंह,<br>प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ | विशेष आमंत्रित |

| | | |
|---|---|---|
| 30. | श्री ललित उरांव,<br>प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ | विशेष आमंत्रित |

डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

**मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

**मद सं. 2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जारी वार्षिक <u>कार्यक्रम संबंधी।</u>**

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 04.04.2019 को उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारतवर्ष को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो 'क" तथा "ख" क्षेत्र में शमिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:

| क्र.सं. | कार्य विवरण | निर्धारित लक्ष्य | अनुपालन का दायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)<br>1. “क” क्षेत्र से “क” क्षेत्र को<br>2. ‘क” क्षेत्र से “ख” क्षेत्र को<br>3. “क” क्षेत्र से “ग” क्षेत्र को<br>4. “क” क्षेत्र से “क” तथा “ख” क्षेत्र से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय /व्यक्ति | <br>100%<br>100%<br>65%<br>100% | संस्थान / केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/लेखा/भण्डार आदि अनुभाग। |
| 2 | हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना | 100% | संस्थान / केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/लेखा/भण्डार आदि अनुभाग। |
| 3 | हिंदी में टिप्पण | 75% | संस्थान / केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/लेखा/भण्डार आदि अनुभाग। |
| 4 | हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम | 70% | सीमेट, शैक्षिक अनुभाग |
| 5 | हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती | 80% | भर्ती प्रकोष्ठ |
| 6 | हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा) | 65% | संस्थान के सभी अधिकारीगण |
| 7 | हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) | 100% | हिंदी अनुभाग |
| 8 | द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना | 100% | शैक्षिक अनुभाग / सीमेट |
| 9 | जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय | 50% | बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय |
| 10 | कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद | 100% | भंडार अनुभाग/ कंप्यूटर सुविधा/ सभी केन्द्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | द्विभाषी वेबसाइट | 100% (द्विभाषी) | कंप्यूटर सुविधा |
| 12 | नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी प्रदर्शन | 100% (द्विभाषी) | इंजीनियरी सेवा विभाग/ सभी केन्द्र |
| 13 | मंत्रालयों /विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)<br>मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण | 25% (न्यूनतम)<br>25% (न्यूनतम) | हिंदी अनुभाग |
| 14 | राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें | वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक) | हिंदी अनुभाग / सभी संबंधित केन्द्र |
| 15 | कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद | 100% | सभी विभाग/ अनुभाग/ केन्द्र |

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र**

**मद सं. 3** **<u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के 05 रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सहायक परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के 03 रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा स्टेज-। और स्टेज-।। की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय ने समिति को सूचित किया कि चयनित उम्मीदवारों का वैरीफिकेशन कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इनके संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की आशा है और शेष 02 रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई आरम्भ की जा रही है।

उपर्युक्त संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ**

**मद सं. 4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केन्द्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 62 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 08 अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय को इस संबंध में विशेष प्रयत्न करने के आदेश देते हुए समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - डॉ.रा.प्र.केन्द्र/जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र/सामान्य अनुभाग/बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय/ संकाय प्रकोष्ठ/ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/ वर्क्स ऑडिट अनुभाग/एम.एस.यू.**

**मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान के 13 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अगस्त, 2019 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के कर्मचारियों के नामांकन संबंधी कार्रवाई निष्पादित की जा रही है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त, 2019 से शुरू होने वाले हिंदी

टंकण प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग**

**मद सं. 6 <u>संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।</u>**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण केवल अंग्रेजी में ही छापा जा रहा है जबकि राजभाषा विभाग के नियमानुसार उक्त सूचना द्विभाषी रूप में छपी होनी चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं लेकिन अभी यह परीक्षण वातावरण में है और सफल परीक्षण के बाद कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वर्तमान में सभी ओ.पी.डी. कार्ड द्विभाषी फॉन्ट में हैं और हिंदी फॉन्ट ओ.पी.डी. कार्ड में अंग्रेजी फॉन्ट के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा जोकि सफल परीक्षण के बाद ही उपलब्ध होगा।

इस विषय में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में बनाए जाने वाले ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबधी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जाए और ऐसा करते समय हिंदी ऊपर अंग्रेजी नीचे अथवा हिंदी पहले अंग्रेजी बाद में रखी जाए तथा यह कार्य अगली बैठक से पहले पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)**

**मद सं. 7 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और जो भी सामग्री अपलोड होने हेतु कप्यूटर सुविधा में आती है, उसे अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है लेकिन वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली स्थायी प्रकृति की विषय-सामग्री को द्विभाषी रूप में अपलोड करने में अभी थोड़ी समस्या आ रही थी जिसे दूर किया जा रहा है और आगे से द्विभाषी रूप में सामग्री वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)**

**मद सं. 8 संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यसूची इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक की कार्यसूची तथा अन्य दस्तावेज आदि इलैक्ट्रॉनिक रूप में समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई- हिंदी अनुभाग**

**अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।**

डा पवन शर्मा

03/07/19